बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

विषय– **स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक आशा कार्यकर्त्ता एवं प्रत्येक आशा फैसिलीटेटर को पारितोषिक के रूप में प्रति माह रू0 1000/– (एक हजार रू0) मात्र के दर से रू0 1,18,72,08,000 (एक अरब अठारह करोड़ बहत्तर लाख आठ हजार रू0) मात्र प्रतिवर्ष भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

2. इस योजना का उद्देश्य आशा कार्यकर्त्ताओं एवं आशा फैसिलीटेटरों को वित्तीय आत्मनिर्भरता प्रदान करने के क्रम में बिहार राज्य द्वारा प्रत्येक आशा कार्यकर्त्ता को उन्हें निर्धारित छः कार्यों में से कम से कम चार कार्य निष्पादित करने तथा आशा फैसिलीटेटर के कार्य क्षेत्र में काम करने वाले कम से कम पचास प्रतिशत (50%) आशा कार्यकर्त्ताओं के निर्धारित छः में से चार कार्यों के किये जाने के एवज् में एक हजार रू0 अतिरिक्त प्रतिमाह पारितोषिक का भुगतान किया जाना है। इस योजना के द्वारा बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं में उन्नयन का लक्ष्य रखा गया है क्योंकि आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा मुख्य रूप से प्रसव पूर्व तैयारी, सुरक्षित प्रसव, नियमित टीकाकरण, गर्भ निरोधकों का सही उपयोग, सामान्य एवं प्रजनन अंगो से संबंधित संक्रमण से बचाव हेतु कार्य एवं परामर्श दिये जाने के साथ माताओं एवं शिशुओं के लिए पोषक तत्वों, स्वच्छता और सफाई के स्वस्थ वातावरण के निर्माण की उपयोगिता के बारे में सामुदायिक रूप से जागृत किये जाने का कार्य भी किया जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन होने पर उपरोक्त कार्यों की गुणवत्ता एवं संख्या में यथोक्त वृद्धि होगी।

3. आशा कार्यकर्त्ताओं के समुचित प्रयास के फलस्वरूप राज्य में एक ओर जहां संस्थागत सुरक्षित प्रसव में वृद्धि हुई है वहीं दूसरी ओर शिशु मृत्यु दर में काफी कमी आयी है, जो उनके अथक एवं अहर्निश प्रयास का प्रतिफल है। आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा बार–बार प्रोत्साहन राशि के स्थान पर राज्य निधि से भी राशि दिये जाने की मांग की जाती रही है। इस कारण यह पारितोषिक दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

आशा कार्यकर्त्ताओं द्वारा जिन 06 निर्धारित कार्यों में से कम से कम 04 कार्यों के अनिवार्य रूप से किये जाने के उपरान्त ही इस पारितोषिक को दिये जाने का निर्णय लिया गया है उन 06 कार्यों का विवरण निम्नवत् है :–

क्रम सं0	कार्यक्रम	कार्य
1	प्रतिरक्षण	Due list अद्यतन कर 90 % लक्षित बच्चों का Full Immunization कराने पर।
2	शिशु स्वास्थ्य	NBNC के अन्तर्गत 60 % बच्चों का दिशा निर्देश के अनुरूप पूर्ण संख्या में गृह भ्रमण करने पर। (संस्थागत प्रसव में छह बार एवं घर पर होने वाले प्रसव में सात बार गृह भ्रमण किया जाता है)
3	मातृ स्वास्थ्य	सभी गर्भवती माताओं का Line listing एवं 60% गर्भवती माताओं का चार प्रसवपूर्व जाँच (ANC) कराने पर।
4	मातृ स्वास्थ्य	60% गर्भवती माताओं का संस्थागत प्रसव कराने पर।
5	परिवार नियोजन	प्रत्येक माह अंतरा का एक Dose दिलवाये जाने पर।
6	आशा कार्यक्रम	प्रत्येक माह आशा दिवस में भाग लेने पर

4. वर्तमान में राज्य में प्रत्येक 20 आशा कार्यकर्त्ताओं पर 01 आशा फैसिलीटेटर है। राज्य में आशा कार्यकर्त्ताओं की कुल सं0 93687 (ग्रामीण) +562 (शहरी)= 94249 एवं आशा फैसिलीटेटरों की कुल सं0 4685 है। इनके वित्तीय वर्ष 2019–20 में भुगतान हेतु संभावित विवरणी निम्नवत् है :–

कार्यकर्ता	संख्या	प्रोत्साहन राशि (रू0 में)	12 माहों के लिए परिगणित राशि (रू0 में)	कुल (लाख रू0 में)
आशा	94249	1000/–	1,13,09,88,000/–	11309.88 लाख
आशा फैसिलीटेटर	4685	1000/–	5,62,20,000/–	562.2 लाख

कुल अनुमानित बजट व्यय= रू0 1,18,72,08,000/- (एक अरब अठारह करोड़ बहत्तर लाख आठ हजार रू0) मात्र प्रतिवर्ष।

5. बजट उपबंधः–यह पारितोषिक राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा के आलोक में दी जा रही है। अतः इस राशि का वहन पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस राशि के भुगतान हेतु शीर्ष निर्धारण की प्रक्रिया की जा रही है। वित्त विभाग के माध्यम से महालेखाकार द्वारा शीर्ष निर्धारित कर संसूचित करने के उपरान्त राशि का भुगतान उस शीर्ष से विकलनीय होगा।

6. अतः स्वास्थ्य विभाग के अधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत प्रत्येक आशा कार्यकर्ता एवं आशा फैसिलिटेटर को पारितोषिक के रूप में 1000/– (एक हजार रू0) मात्र के दर से रू0 1,18,72,08,000/– (एक अरब अठारह करोड़ बहत्तर लाख आठ हजार रू0) मात्र प्रतिवर्ष के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांकः– 12/प0क0–09–03/2019............... /पटना, दिनांक – ....
(SHSB/GA/ASHA/3667/2019)

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–03/2019– /पटना, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः–मा0 मुख्यमंत्री, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–03/2019 /पटना, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः–प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–03/2019 /पटना, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना/प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ निदेशक, इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना/सभी अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/सभी क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार/सभी सिविल सर्जन, बिहार/ संबंधित वित्त प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/संबंधित राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना/सभी जिला कार्यक्रम प्रबंधक, बिहार/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–03/2019 /पटना, दिनांक / /2019

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–17.07.2019 में मद संख्या–10 के आलोक में की गई कार्रवाई के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक –12/प0क0–09–03/2019 -७८१(१२)/पटना, दिनांक ९ / ८ /2019

प्रतिलिपिः–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्तर पर नामित जन सम्पर्क पदाधिकारी को इस निर्णय की प्रति दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के अनुरोध के साथ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

9/8/2019

सरकार के प्रधान सचिव।